

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/330/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 13/05/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री विनोद कुमार जैन द्वारा मांगी गई सूचना।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में दिनांक 8.4.2013 के ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

- आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु आपके विभाग से निकटता से संबंधित है, और, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने तथा उपर्युक्त आवेदक को सूचना सीधे उपलब्ध कराने हेतु इसे आपको अंतरित किया जा रहा है।
- आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

अनुलग्नक : उपर्युक्त के अनुसार

१८ फू. ४५५
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-॥)

दूरभाष: 23092856

सेवा में

श्री प्रणव बिश्वास
अवर सचिव (वी आई पी सुरक्षा)
एन डी सी सी-॥ भवन,
तीसरी मंजिल,
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

Sealed with seal
18/5/1827
19/7

प्रति सूचनार्थ:

- श्री विनोद कुमार जैन, राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक, शाहदरा, दिल्ली-110032-इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।



वन्देमातरम्

राष्ट्रवादी शिवसेना

राष्ट्रवादी
शिवसेना

राष्ट्रीय कार्यालय : राष्ट्रवादी शिवसेना भवन, मुख्य चौक शाहदरा, दिल्ली-110032

फोन : 011-22325555, 22322455 फैक्स : 011-22322751

ई-मेल : ho@rashtrawadishivsena.co.in • वेबसाइट : www.rashtrawadishivsena.co.in

क्र.स.रा.शि.से./02/415/13

दिनांक : 08/04/2013

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

२२५ श्रीराज/२०१३
१०।४।१३

विषय : सूचना के अधिकार कानून-2005 के तहत जानकारी देने के संदर्भ में।

महोदय,

आपके कार्यालय में पार्टी प्रमुख श्री जयभगवान गोयल जी के द्वारा लिखित तीन शिकायत पत्र (दिनांक 05 दिसम्बर 2012 पत्र संख्या-रा.शि.से.02/498/12, दिनांक 11 दिसम्बर 2012 को पत्र संख्या-रा.शि.से.02/505/12 तथा दिनांक 12 फरवरी 2013 पत्र संख्या-रा.शि.से.02/139/13) दिया था, जिसकी प्रति साथ संलग्न है। उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मुझे सूचना के अधिकार कानून-2005 के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूँ।

1. उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?
2. यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसकी जानकारी दी जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में मांगी गई जानकारी जल्द से जल्द मुझे लिखित रूप में मातृ भाषा हिन्दी में ही उपलब्ध करवाने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा।

सधन्यवाद।

9..... 659/5/.....

भवदीय

विनोद कुमार जैन

राष्ट्रीय महासचिव